

पीठाधीन अधिकारी - स्वाति मुष्ताफा  
राजस्व वाद संख्या - 224 / 2023

1 धर्मपाल पुत्र रमाजीत जाति जाट निवासी डबलीबुई तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- खरी

**बयान**

- 1 सावित्री देवी पत्नी रमाजीत जाति जाट निवासी डबलीबुई तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 चन्द्रकला पत्नी सुरेन्द्र कुमार पुत्र रमाजीत जाति जाट निवासी डबलीबुई तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 3 कुशल नाबालिग पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी डबलीबुई जरीय कुदरती काठी गाँव चन्द्रकला पत्नी रमाजीत जाति जाट निवासी डबलीबुई तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 4 तहसीलदार राजरव टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :- 88, 53 आरटीए घोषणा एवं खाता विभाजन

**निर्णय**

दिनांक - 15.04.2024

वारी की ओर से श्री राधाकृष्ण भास्कर अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरविन्द सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.04.24 को स्वाति मुष्ताफा उपखण्ड अधिकारी एवम् परदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के सहायक अधिवक्ता के लिए पेश होने पर वारी के विद्वान अधिवक्ता की वकालत पर कसब करने तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र पढ़ीकरण योग्य पाये जाने पर राजस्थान कार्यकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत निर्णय किया जाकर अधिनियम टिब्बी की जाती है कि-

- क वारी धर्मपाल को ज्ञान अराजी - एक नम्बर 6 ए.जी. के पत्राव नम्बर 210 / 369(33) जिला नम्बर 6 / 1 / 0228 6 / 2 / 0228 हेक्टर दोर कुवैटिन खाता 7 / 0283 हेक्टर।
- ख प्रतिवादी संख्या 1 सावित्री को ज्ञान अराजी - एक नम्बर 6 ए.जी. नम्बर 210 / 369(33) जिला नम्बर 20 / 2 / 0228 24 / 1 / 0340 25 / 2 / 0228 हेक्टर दोर कुवैटिन खाता।



राजस्थान कार्यकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत निर्णय किया जाकर अधिनियम टिब्बी की जाती है कि-



प्रतिवादी संख्या 3 कुशल को प्राप्त आराजी - एक नम्बर 7 लीडी रोल के साथ नम्बर 200/352(21) किला नम्बर 1/2/0227, 2/0228 ईस्ट।

आराजी के उत्तीर्ण कराने के लिए जिला जज के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दायर किया जा रहा है। साथ ही नम्बर 7 लीडी रोल के साथ संख्या 54/54 एवं नम्बर 7 लीडी रोल के साथ संख्या 50/47 के साथ आराजी के साथ जिला जज के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दायर किया जा रहा है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

उत्तीर्ण (राजस्व) टिप्पणी को आदेशित किया जाता है कि जहाँ वर्गीकृत भूमि सम्बन्ध प्रकार से धार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कटव किया जावे। भूमि की विषय (यथा नही/बराबरी/परिष्कारित) भूदानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

यहाँ कोई भी अपवाद-अपमान नहीं करेगा। यह टिप्पणी आज दिनांक 15/04/24 को भी हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उत्तीर्ण प्रमाणित  
 उपसचिव, अभिलेखी एवं  
 वरदान सहायक जिला जज  
 टिप्पणी

**वाद के तर्क**

वर्ग	वर्णन	वर्गीकृत	वर्णन
1	राजस्व के लिए अंकन	...	राजस्व के लिए अंकन
2	जमीन के लिए अंकन	...	जमीन के लिए अंकन
3	राजस्व के लिए अंकन	...	राजस्व के लिए अंकन
4	जमीन के लिए अंकन	...	जमीन के लिए अंकन
5	राजस्व के लिए अंकन	...	राजस्व के लिए अंकन
6	जमीन के लिए अंकन	...	जमीन के लिए अंकन
7	राजस्व के लिए अंकन	...	राजस्व के लिए अंकन
8	जमीन के लिए अंकन	...	जमीन के लिए अंकन
9	राजस्व के लिए अंकन	...	राजस्व के लिए अंकन
10	जमीन के लिए अंकन	...	जमीन के लिए अंकन
11	राजस्व के लिए अंकन	...	राजस्व के लिए अंकन
12	जमीन के लिए अंकन	...	जमीन के लिए अंकन
13	राजस्व के लिए अंकन	...	राजस्व के लिए अंकन
14	जमीन के लिए अंकन	...	जमीन के लिए अंकन
15	राजस्व के लिए अंकन	...	राजस्व के लिए अंकन
16	जमीन के लिए अंकन	...	जमीन के लिए अंकन
17	राजस्व के लिए अंकन	...	राजस्व के लिए अंकन
18	जमीन के लिए अंकन	...	जमीन के लिए अंकन
19	राजस्व के लिए अंकन	...	राजस्व के लिए अंकन
20	जमीन के लिए अंकन	...	जमीन के लिए अंकन